बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
सं0सं0– पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–03/2024– 122,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक– 21/10/2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, रानीगंज, अररिया की चहारदीवारी पर Concertina Coil Fencing कार्य, तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि रू0 12,06,300/– (रू0 बारह लाख छः हजार तीन सौ) मात्र पर कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य स्कीम अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय, रानीगंज, अररिया की चहारदीवारी पर Concertina Coil Fencing कार्य, तकनीकी अनुमोदित कुल प्राक्कलित राशि रू0 12,06,300/– (रू0 बारह लाख छः हजार तीन सौ) मात्र पर कराये जाने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–03 के तहत मुख्य शीर्ष 2059–लोक निर्माण कार्य–उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य–लघु शीर्ष–053–रखरखाव तथा मरम्मत–उपशीर्ष–0101–पिछड़े वर्ग एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास आदि भवनों का अनुरक्षण एवं मरम्मत विषय शीर्ष–27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत विपत्र कोड–03–2059800530101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

4. स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के द्वारा प्राधिकृत संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे तथा इसकी निकासी संबंधित कोषागार से की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्रांक–8244 दिनांक–02.08.2010 के आलोक में निकासी की कारवाई करेंगे।

5. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7328, दिनांक–06.08.2026 के द्वारा अररिया जिलान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की चहारदीवारी पर Concertina Coil Fencing कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ द्वारा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के आलोक में भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदण्ड, गुणवत्ता के अनुसार कार्य समय–सीमा के अन्दर पूर्ण किया जायेगा।

6. इस योजना के लिए नियंत्री पदाधिकारी सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे समय–समय पर कार्य की प्रगति एवं व्यय की गयी राशि की उपयोगिता की सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

7. संबंधित भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता के द्वारा कार्य से संबंधित विस्तृत प्राक्कलन एवं DPR Report जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अररिया को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसकी सूचना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को भी निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे। कार्य पूर्ण होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत छात्रावास भवन को हस्तांतरित किया जाएगा।

8. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561, दिनांक–17.04.98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों के तहत दिए गए निदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. प्रस्ताव पर दिनांक–14.10.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है।

10. प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

21/10/2026

(ऋषि कुमार),
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–03/2024– 122 पटना, दिनांक– 21/10/2026

प्रतिलिपि– सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, वित्त विभाग/बजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–03/2024– 122 पटना, दिनांक– 21/10/2026

प्रतिलिपि–प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, अररिया/उप विकास आयुक्त, अररिया/कोषागार पदाधिकारी, अररिया/प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, अररिया/अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, अररिया/उप सचिव (बजट शाखा)/ आई0टी0 मैनेजर (विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

21/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– पि0व0/4/आ0क0वि0नि0 एवं जीर्णो0–25–03/2024– 122 पटना, दिनांक– 21/10/2026

प्रतिलिपिः–माननीया मंत्री के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

21/10/2026
सरकार के संयुक्त सचिव।